✓ 01/6/2023

कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//भर्ती हेतु विज्ञापन//

क्रमांक क/वित्त स्था./2023/2424 बिलासपुर, दिनांक 01/06/2023

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 4–04/2023/सात–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 09 मई, 2023 द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत स्वीकृत सेटअप के अनुसार कार्यालय कलेक्टर, बिलासपुर,छ0ग0/भू अभिलेख शाखा बिलासपुर के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी/मूल निवासी उम्मीदवारों से दिनांक 01/06/2023 से दिनांक 15/06/2023 को सायं 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :–

(राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद)

1.शीघ्रलेखक वर्ग–3 वेतनमान–28700–91300 वेतन मेट्रिक्स लेबल–8

क	श्रेणी/संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0सैनिक	योग
1	अनारक्षित	0	0	1(अस्थि बाधित)	0	1
2	अनुसूचित जाति	1	0	0	0	1
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0
0	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0
योगः–		1	0	0	0	2

2.सहायक ग्रेड–3 वेतनमान–19500–62000 वेतन मेट्रिक्स लेबल–4

क	श्रेणी/संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0 सैनिक	योग
1	अनारक्षित	16	11	4/02 अस्थि बाधित/ 01कमदृष्टि बाधित /01श्रवण बाधित	4	35
2	अनुसूचित जाति	6	3	1 कम दृष्टि बाधित	1	11
3	अनुसूचित जनजाति	3	2	1 श्रवण बाधित	1	7
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	1	0	0	3
योगः–		27	17	6	6	56

3.स्टेनो टायपिस्ट वेतनमान–19500–62000 वेतन मेट्रिक्स लेबल–4

क	श्रेणी/संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0सैनिक	योग
1	अनारक्षित	2	1	0	0	3
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0
3	अनुसूचित जनजाति	1	0	0	0	1
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0
योगः–		3	1	0	0	4

4.वाहन चालक वेतनमान–19500–62000 वेतन मेट्रिक्स लेबल–4

क	श्रेणी/संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0सैनिक	योग
1	अनारक्षित	5	3	0	1	9
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0
3	अनुसूचित जनजाति	1	0	0	0	1
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	0	0	0	2
योगः–		8	3	0	1	12

5. भृत्य वेतनमान 15600–49400 वेतन मेट्रिक्स लेबल–1

क	श्रेणी/संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग
1	अनारक्षित	8	5	1कम दृष्टिबाधित	4	18
2	अनुसूचित जाति	3	2	0	1	6
3	अनुसूचित जनजाति	1	0	0	0	1
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0

छत्तीसगढ़ लोकहित समाचार

योगः–	12	7	1	5	25

6.चौकीदार वेतनमान 15600–49400 वेतन मेट्रिक्स लेबल–1

क	श्रेणी / संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग
1	अनारक्षित	4	2	0	1	7
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	0	0	0	1
योगः–		5	2	0	1	8

7.अर्दली वेतनमान 15600–49400 वेतन मेट्रिक्स लेबल–1

क	श्रेणी / संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग
1	अनारक्षित	0	0	1(कम दृष्टि बाधित)	0	1
2	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0
योगः–		0	0	1	0	1

8.फर्रास वेतनमान 15600–49400 वेतन मेट्रिक्स लेबल–1

क	श्रेणी / संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग
1	अनारक्षित	1	1	1(अस्थि बाधित)	1	4
2	अनुसूचित जाति	1	0	0	0	1
3	अनुसूचित जनजाति	1	0	0	0	1
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	0	0	0	1
योगः–		4	1	1	1	7

9.प्रोसेस सर्वर वेतनमान 15600–49400 वेतन मेट्रिक्स लेबल–1

क	श्रेणी / संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	योग
1	अनारक्षित	0	1	2(01–श्रवण बाधित, 01–कम दृष्टि बाधित)	1	4
2	अनुसूचित जाति	1	0	0	0	1
3	अनुसूचित जनजाति	1	1	0	0	2
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	1	0	0	2
योगः–		3	3	2	1	9

(भू अभिलेख शाखा के पद)

1.सहायक ग्रेड–3 वेतनमान–19500–62000 वेतन मेट्रिक्स लेबल–4

क	श्रेणी / संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0 सैनिक	योग
1	अनारक्षित	01	02	1(अस्थि बाधित)	1	5
2	अनुसूचित जाति	1	01	0	0	2
3	अनुसूचित जनजाति	1	0	0	0	1
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0
योगः–		3	3	1	1	8

02/ विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, जिसमें विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं, आयु, चयन की प्रक्रिया, आवेदन पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप इत्यादि, जिला कार्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट www.bilaspur.gov.in में देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर,छ0ग0

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

:–विज्ञापन की शर्तें एवं नियम की विस्तृत जानकारी–:

(1) **महत्वपूर्ण टीप :–**

01. पदों की संख्या परिस्थिति अनुसार घट/बढ़ सकती है।

02. विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगा।

(2) **शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं :–**

(A) **शीघ्रलेखक वर्ग–03 –**

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण।

(2)मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से उत्तीर्ण

(क)शीघ्रलेखक(हिन्दी)के लिए:–

हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(ख)शीघ्रलेखक(अंग्रेजी के लिए):–

अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(ग)द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए:–

उपर खण्ड(क)तथा (ख)में विनिर्दिष्ट हिन्दी अथवा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की(Key)डिप्रेशन प्रतिघंटा(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(B) **सहायक वर्ग–03 –**

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र

तथा

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(C) **स्टेनो टायपिस्ट –**

(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

टीप :-विज्ञापित पद क 1, 2 एवं 3 के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-4/2015/1/3, दिनांक 23.01.2015 के अनुसार सहायक वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर संबंधी अर्हता हेतु छ.ग. शासन तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि को मान्यता प्रदान की गई है :-

1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।
4. DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

(D) **वाहन चालक –**

1. छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।
2. हल्के वाहन चलाने का स्थायी वैध ड्रायव्हिंग लायसेंस (फोर व्हीलर)।

(E) **भृत्य/चौकीदार/अर्दली/फर्रास/प्रोसेस सर्वर –**

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण।

जिन आवेदकों को छ.ग. शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली पांचवी परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेडेशन दिया जाना निर्धारित है, ऐसे आवेदकों को आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य होगा। ग्रेड से प्रतिशत की गणना नीचे दर्शाए अनुसार की जावेगी :-

क्रमांक.	ग्रेड.	अंकित ग्रेड का निर्धारित अधिकतम प्रतिशत
1	A	90 प्रतिशत
2	B	73 प्रतिशत
3	C	58 प्रतिशत
4	D	43 प्रतिशत
5	E	16 प्रतिशत

(3) **निर्धारित आयु सीमा :-** अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1-1-2023 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-

01. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

02. छत्तीसगढ़ में निवासरत विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

03. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

04. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मण्डलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

05. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

06. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अतर्गत अपने नाम पर "ग्रीनकार्ड" धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।

07. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

08. राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

09. ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। (छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13–2/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 12.03.2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)

10. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एम–3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10.02.2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक होगी।

(4) आवेदन पत्र भरने संबंधी शर्तें/निर्देश/जानकारीः–

01. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा। आवेदक लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जाति वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता, पिन कोड स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5/–रू. का डाक टिकिट लगा एक खाली लिफाफा 9'×4' के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

02. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।

03. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा जिसकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।

04. आयु सीमा मे छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक होगा।

05. केवल ऐसे निःशक्त आवेदक सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होगें जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो। निःशक्तजन/दिव्यांग हेतु आरक्षित पद (क) अंध और निम्न दृष्टि, (ख) बधिर और श्रवणशक्ति में ह्रास, (ग) चलन निःशक्तता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, अम्ल आक्रमण पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता एवं (क) से (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता की श्रेणी के है। अतः इसी श्रेणी के निःशक्त उम्मीदवार आवेदन करें। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

06. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को आवेदन के साथ सेना द्वारा प्रदत्त डिस्चार्ज बुक (Discharge Book) की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

07. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था मे सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

08. आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकाये।

09. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

10. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र मे **'कलेक्टर, बिलासपुर,छ0ग0'** के पते पर **केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट** से भेजना अनिवार्य होगा। सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों–हाथ आवेदन पत्र स्वीकार/मान्य नही किए जाएंगे। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप/प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नही होंगे उस पर विचार नही किया जाएगा।

11. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी।

12. विज्ञप्ति जारी दिनांक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

13. आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें। शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाए जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

14. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षावधि पर की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :–

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत।
द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत।
तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत।

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू वेतनमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

15. पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है। विज्ञापन दिनांक से आगामी 1 वर्ष तक किन्ही भी कारण से उत्पन्न रिक्तता इसी विज्ञापन से प्राप्त पात्र आवेदकों से नियमानुसार भरी जा सकेगी।

16. समस्त पद पर शासन द्वारा जारी निर्देशों/नियमों के अनुसार वर्टिकल व होरीजोण्टल आधार पर पदों का आरक्षण रहेगा।

17. यह नियुक्तियॉ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें), नियम 1961 से शासित होगी।

18. आवेदनकर्ता विज्ञापन का विस्तृत विवरण जिला कार्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट bilaspur.gov.in पर देख सकते हैं।

19. विज्ञाप्ति पदों पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सूचना भेजी जावेगी तथा उसे जिला कार्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाईट www.bilaspur.gov.in में भी अपलोड की जावेगी। यदि किन्ही कारणों से व्यक्तिगत् सूचना की प्राप्ति में विलम्ब होने/सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में सूचना पटल/वेबसाईट में जारी जानकारी/सूचना को ही आवेदक को सूचित होना माना जावेगा।

(5) नियुक्ति के लिए अपात्रता :–

01. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

02. कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नही होगा।

(6) चयन की प्रक्रिया :–

(A) शीघ्रलेखक वर्ग–3 – चयन की प्रक्रिया सहायक वर्ग–3 के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जावेगी। सहायक वर्ग–3 के पद के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्क्रूटनी के पश्चात् अर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदो के प्रवर्गवार 1 अनुपात 15 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

अंतिम चयन, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे:–

A	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (10+2)	70 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60% के बराबर अंक)
B	हिन्दी शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में प्रायोगिक/कौशल परीक्षा	30 अंक
कुल निर्धारित अंक		**100 अंक**

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में निर्धारित अंको में 50% अंक अर्थात कम से कम 15 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नही।

(B) **सहायक वर्ग–3** – चयन की प्रक्रिया सहायक वर्ग–3 के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जावेगी। सहायक वर्ग–3 के पद के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्क्रूटनी के पश्चात् अर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदो के प्रवर्गवार 1 अनुपात 15 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

अंतिम चयन, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे:–

A	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (10+2)	70 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 70% के बराबर अंक)
B	कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में प्रायोगिक/कौशल परीक्षा	30 अंक
	कुल निर्धारित अंक	**100 अंक**

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में निर्धारित अंको में 50% अंक अर्थात कम से कम 15 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नही।

(C) **स्टेनो टायपिस्ट** – चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया स्टेनो टायपिस्ट के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जावेगी। स्टेनो टायपिस्ट के पद के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्क्रूटनी के पश्चात अर्हताधारी पात्र आवेदकों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदो के प्रवर्गवार 1 अनुपात 15 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे:–

A	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (10+2)	70 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 70% के बराबर अंक)
B	हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में एवं डाटा एन्ट्री की गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में प्रायोगिक/कौशल परीक्षा	30 अंक
	कुल निर्धारित अंक	**100 अंक**

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में निर्धारित अंको में 50% अंक अर्थात कम से कम 15 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नही।

(D) **वाहन चालक** – चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जावेगी। वाहन चालक के पद के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्कूटनी के पश्चात अर्हताधारी पात्र आवेदकों को वाहन चालन के कौशल/दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा तथा इसमें प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित किए गए हैं:– कौशल/दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदो के प्रवर्गवार 1 अनुपात 15 के मान से उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व कौशल/दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे:–

A	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, मान्यता प्राप्त	70 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के

	बोर्ड/संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 70% के बराबर अंक)
B	वाहन चालन के कौशल/दक्षता परीक्षा हेतु (चयन समिति द्वारा वाहन चलवाकर परीक्षा ली जावेगी)	30 अंक
	कुल निर्धारित अंक	**100 अंक**

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी। कौशल/दक्षता परीक्षा में निर्धारित अंको में 50% अंक अर्थात कम से कम 15 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के विचार योग्य होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नही।

(E) भृत्य/चौकीदार/अर्दली/फर्रास/प्रोसेस सर्वर – नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। चतुर्थ श्रेणी के लिए चयन निर्धारित शैक्षणिक अर्हता कक्षा पांचवी उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्त अंको के संवर्गवार मेरिट के आधार पर किया जावेगा।

टीपः– उपरोक्त विज्ञापित समस्त दों की वर्गवार कुल संख्या की दोगुनी संख्या में मेरिट सूची जारी की जावेगी। अंतिम चयन पश्चात मेरिट सूची के शेष अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, जो अंतिम चयन हेतु एक वर्ष के लिए वैध रहेगी।

(7) **अन्य महत्वपूर्ण शर्तें/निर्देश/जानकारी :–**

01. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी, उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
02. चयन/नियुक्ति उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
03. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार के अनुचित माध्यमों से प्रभावित करने की कोशिश करने या अनावश्यक दबाव डालने पर उनकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकेगी।
04. विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार **"कलेक्टर, जिला बिलासपुर"** का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।
05. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय/रिक्तियों की संख्या आदि संबंधी त्रुटियां सुधारी जा सकती है, जिसकी सूचना विधिवत समाचार पत्र/वेबसाईट में प्रकाशित होगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर,छ0ग0

पृ0क0 क/वित्त स्था./2023/ 2424A

बिलासपुर, दिनांक 01/06/2023

प्रतिलिपिः–

1. सचिव,छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
2. सचिव,छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
3. आयुक्त भू अभिलेख,छ0ग0रायपुर

4. आयुक्त,बिलासपुर संभाग,बिलासपुर
   की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संचालक, समाज कल्याण,छ0ग0नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, छत्तीसगढद्व रायपुर
7. प्रभारी अधिकारी,जिला नाजरात शाखा जिला कार्यालय बिलासपुर की ओर विज्ञापन की एक प्रति जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बिलासपुर की ओर विज्ञापन की एक प्रति जिले की वेबसाईट www.bilaspur.gov.in में तत्काल अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी,जिला सैनिक कल्याण बोर्ड बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
11. तहसीलदार(सर्व)जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं उक्त विज्ञापन की प्रति आपके कार्यालय के सूचना फलक में चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर,छ0ग0

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

शीघ्रलेखक वर्ग–3,सहायक वर्ग–3, स्टेनो टायपिस्ट, वाहन चालक एवं भृत्य/चौकीदार/अर्दली/फर्रास/प्रोसेस सर्वर पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

फोटो चस्पा करें (स्वयं के द्वारा सत्यापित)

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

01. आवेदित पद का नाम :– ____________________

02. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :– ____________________

(अंग्रेजी में) :– ____________________

03. पिता/पति का नाम :– ____________________

04. जन्म तिथि – (अ) अंको में :– ____________________

(ब) शब्दो में :– ____________________

(स) दिनांक 01.01.2023 को आयु :– वर्ष ——— माह ——— दिन ———

05. लिंग – (पुरूष/महिला/तृतीय लिंग) :– ____________________

06. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

07. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता :– ____________________

____

____

08. स्थायी पता :– ____________________

____

____

09. दूरभाष / मोबाईल नंबर :— ____________________

10. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें) :— ____________________

11. क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा / अजजा / अपिव के सदस्य हैं? यदि हां तो वर्ग लिखें एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) :— ____________________

12. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है? (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे) :— ____________________

13. निःशक्त आवेदक निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) :— प्रकार ______________ प्रतिशत ______________

14. भूतपूर्व सैनिक उम्मीद्वारों के लिए
   (अ) सेना का नाम, जिसमें कार्य किया गया है :— ____________________
   (ब) कार्य की अवधि :— दिनांक ______ से ______ तक कुल अवधि ________

15. क्या आवेदक विवाहित है? हां / नहीं :— ____________________
   (अ) यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :— ____________________
   (ब) जीवित संतान की संख्या :— ____________________
   (स) यदि दो से अधिक जीवित संतान है, तब अंतिम संतान की जन्मतिथि :— ____________________

16. यदि आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत हो तो विवरण (नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें) :— ____________________

17. वाहन चालक पद हेतु— हल्के वाहन चलाने का स्थायी वैध ड्रायविंग लायसेंस का विवरण (लायसेंस की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) :— लायसेंस नंबर ____________ वैधता तिथि ____________

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :— 01— ....,
   02— ...., 03— .... 04— ....,
   05— ...., 06— .... 07— ....

दिनांक :— ____________
स्थान :— ____________

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठी / असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :— ____________
स्थान :— ____________

आवेदक के हस्ताक्षर